युवा कार्य तथा खेल और महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कु० ममता बैनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना (आई सी डी एस) राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों के जरिए कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा दो श्रेणियों के कार्यकर्ता रखे जाते हैं—स्टाफ जिसमें कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, अपर/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर (मुख्य-सेविकाएं) तथा राज्य स्तर पर, जिला स्तर, ब्लाक स्तर और परियोजना स्तर पर अनुसचिवीय स्टाफ आता है। दूसरी श्रेणी में निचले स्तर के कार्यकर्ता अर्थात् आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं आती हैं। वे अंशकालिक, अवैतनिक, स्वयंसेवी कार्यकर्ता होते हैं और सामान्यतः उसी गांव से लिए जाते हैं जहां आंगनवाड़ी केन्द्र स्थित होता है। दोनों श्रेणियों के स्टाफ की भर्ती संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा की जाती है।

(घ) समेकित बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) योजना सामुदायिक सहभागिता के सिद्धान्त पर आधारित है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं स्थानीय समुदाय से ली गई अंशकालिक, स्वयंसेवी और अवैतनिक कार्यकर्ता होते हैं और उन्हें सरकारी कर्मचारी माने जाने से सामुदायिक सहभागिता का सिद्धान्त ही समाप्त हो जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ियों में चार घंटे काम करती हैं और उन्हें प्रति दिन आधा घंटा घरों का दौरा करना होता है। सहायिकाओं के लिए गृह-दौरे करना अपेक्षित नहीं है।

Overinvoicing in import of drugs

1177. SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

DR. RATNAKAR PANDEY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that duty free import of bulk drugs and formulations is giving rise to overinvoicing;

(b) if so, what is the number of such instances that have come to the notice of his Ministry;

(c) what is the rationale behind duty free import of the products which are not price controlled;

(d) what are the names of finished medicines and bulk drugs which are exempted from price control and where his Ministry has either allowed exemption from or concession of customs duty during the last three years;

(e) whether it is a fact that his Ministry did not agree to certain proposals in the drug sector for hike in duties of bulk drugs and intermediates which are produced from basic stage and finished medicines being produced indigenously;

(f) if so, what are the names of such items and the reasons for rejecting the proposal; and

(g) what is the total loss in foreign exchange due to this lapse?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) Information regarding the number of instances of overinvoicing of imports of duty free bulk drugs and formulations is not readily available. The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Exemption from import duty is extended to bulk drugs and intermediates so as to encourage indigenous production from the more basic

stages. In the case of formulations, exemptions are extended to make essential and life-saving drugs available. In extending such duty exemptions, various factors such as, essential nature of these drugs, indigenous availability, estimated demand and the price structure etc. are taken into account.

(d) Names of finished medicines and bulk drugs which are subjected to price control under the Drugs (Prices Control) Order, 1987, and amendments thereto, issued from time to time are notified in the Official Gazette. Notifications wherein finished medicines, bulk drugs and intermediates have been either exempted or subjected to concessional rates of import duty, issued during the last three years have also been notified in the Official Gazette and have been duly laid on the Table of the House.

The bulk drugs and the finished medicines for which exemption/concessions in import duty have been given, but which are not subjected to any price control can be ascertained by reference to the Drugs (Prices Control) Order, 1987, and the amendments thereto.

(e) to (g) Certain proposals for increase in the import duties on some bulk drugs, intermediates and finished medicines, have been considered in the recent past. However, as a general policy decision, it was decided not to increase the import duties on any drugs, drug intermediates and finished medicines for the present, keeping in view the recent exchange rate adjustment of the rupee which has resulted in an increase in the price of imported drugs. The foreign exchange involved due the continuation of the duty exemptions on these products is not quantifiable.

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशनों के बारे में जाफरी समिति की समुक्तियां

1178. **मौलवी अबैदुल्ला खान आजमी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जाफरी समिति ने एन०सी०ई० आर०टी० द्वारा उर्दू पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण के बारे में क्या-क्या समुक्तियां और सिफारिशें की हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है ;

(ग) क्या अब तक कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) उर्दू की प्रोन्नति के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए (जाफरी समिति) ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

"समिति यह भी महसूस करती है कि सरकार को स्कूली बच्चों के लिए उर्दू की पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराने में होने वाले विलम्ब की जांच करनी चाहिए । इस समय जबकि इन पाठ्य-पुस्तकों का अनुवाद उर्दू तरक्की ब्यूरो द्वारा किया जाता है तथा ये रा०शै०अनु०प्र०प० द्वारा प्रकाशित की जाती हैं । प्रत्येक वर्ष इस आशय की शिकायतें होती हैं कि कुछ पाठ्य पुस्तकें तो बिल्कुल उपलब्ध ही नहीं होती हैं जबकि कुछ अन्य पुस्तकें समय पर उपलब्ध नहीं होती हैं । सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए तथा उर्दू भाषी जनता की इस विशिष्ट शिकायत को दूर करने के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय करने चाहिए ।"